"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 642] नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अगस्त 2025 — श्रावण 16, शक 1947

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 15–11/15–02/2025/7/1884. – छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16–ग की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये ''जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15–11/15–02/2025/7/1062 दिनांक 02–04–2025 जारी की गई थी।

(2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत ''प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025'' के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची–एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(3) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 की कंडिका 05–(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिला बालोद के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची–एक, दो एवं तीन को जारी करता है। संबंधित सदस्य/व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति, सचिव, छत्तीसगढ़ भाासन, सहकारिता विभाग को संबोधित करते हुए ''कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, ब्लॉक–बी, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन–492002'' में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 22.08.2025 तक प्रस्तुत कर सकेगें। लिफाफे के ऊपर ''जिला बालोद की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन हेतु अभ्यावेदन/दावा या आपत्ति'' अंकित किया जावे। निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा।

(4) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर, ''जिला बालोद छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025'' की अनुसूची–एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :– अनुसूची–एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.

जिला–बालोद छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025

अनुसूची – एक

संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रींय बैंक मर्यादित, दुर्ग

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित सोसाइटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा हैं (परिणामी सोसाइटी)
1	2	3	4
1	निरंक	निरंक	निरंक

जिला–बालोद छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025

अनुसूची – दो

संबद्ध बैंक जिला सहकारी केन्द्रींय बैंक मर्यादित, दुर्ग

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित सोसाइटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	2	3	4
1	सेवा सहकारी समिति मर्यादित सांकरा ज	द.नवागांव	द.नवागांव, परसदा, डेंगरापार
2	सेवा सहकारी समिति मर्यादित लाटाबोड़	खपरी	खपरी, भोईनापार, परसाही
3	आ.जा. सहकारी साख समिति मर्यादित मिर्रीटोला	चंदनबिरही	चन्दनबिरही, बागतराई, चिटौद
4	सेवा सहकारी समिति मर्यादित पलारी	सनौद	सनौद, बोहारा, सांगली
5	सेवा सहकारी समिति मर्यादित फागुनदाह	पेन्डरवानी	पेन्डरवानी, पेरपार
6	आ.जा. सहकारी साख समिति मर्यादित डौण्डी	बम्हनी	बम्हनी, छिन्दगांव, कटरेल, कुसुमटोला
7	आ.जा. सहकारी साख समिति मर्यादित भर्रीटोला	ठेमाबुजुर्ग	ठेमाबुजुर्ग, ठेमाखुर्द, गंगोलीडीह, घोरदा, होदेकसा, भीमाटोला
8	आ.जा. सहकारी साख समिति मर्यादित कोटागांव	नलकसा	नलकसा, कोपेडेरा, हिड़कापार, तुएदण्ड, कुमुड़कट्टा
9	आ.जा. सहकारी साख समिति मर्यादित कुंआगोदी	सुरडोंगर	सुरडोंगर(मरकाटोला), जबकसा, लिमउडीह, खुर्सीटिकुर
10	आ.जा सहकारी साख समिति मर्यादित कुसुमकसा	भर्रीटोला	भर्रीटोला, चिपरा, ककरेल, रजही, देवपांडुम, जुनवानी
11	आ.जा सहकारी साख समिति मर्यादित साल्हे	चिखली	चिखली, गोटुलमुण्डा, नर्राटोला, बोरगांव
12	आ.जा सहकारी साख समिति मर्यादित गुजरा	खलारी	खलारी, जमही, अड़जाल
13	आ.जा. सहकारी साख समिति मर्यादित चिखलाकसा	बिटाल	बिटाल, हितकसा, जाबुड़वाही, झरनदल्ली, धोबेदण्ड, झीकाटोला, कोड़ेकसा
14	आ.जा. सहकारी साख समिति मर्यादित गैंजी	झरनटोला	झरनटोला, मरकामटोला, साल्हेटोला, पिंगाल, किल्लेकोड़ा, बघमार
15	आ.जा. सहकारी साख समिति मर्यादित रेंगाडबरी	नंगुटोला	नंगुटोला, अन्नूटोला, भीमाटोला, जुन्नापानी
16	आ.जा. सहकारी साख समिति मर्यादित अछोली	परसाडीह	परसाडीह ज, सोरली, खैरीडीह, कापसी

17	आ.जा. सहकारी साख समिति मर्यादित सुरेगांव	भुरकाभाट	भुरकाभाट, मनकी, शिकारीटोला, तेलीटोला
18	सेवा सहकारी समिति मर्यादित कुरदी	डुण्डेरा	डुण्डेरा, नवागांव, लासाटोला
19	सेवा सहकारी समिति मर्यादित पिरीद	कमरौद	कमरौद, मोहलई, कोंगनी
20	सेवा सहकारी समिति मर्यादित गब्दी	माहुद अ	माहुद अ, डुड़िया
21	सेवा सहकारी समिति मर्यादित पिनकापार (गु)	सरेखा	सरेखा, भोथीपार, खपरी
22	सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिर्री	तिलोदा	तिलोदा, पाउवारा
23	आ.जा. सहकारी साख समिति मर्यादित भवंरमरा	खोलझर	खोलझर,बुल्लुटोला,नलपानी, भिन्दो,लुरकाझर

जिला–बालोद छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025

अनुसूची – तीन

संबद्ध बैंक जिला सहकारी केन्द्रींय बैंक मर्यादित, दुर्ग

क्र.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित हैं (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्राम का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसके अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा हैं (परिणामी सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुडा है
1	2	3	4	5
1	निरंक			

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मद्रित तथा प्रकाशित – 2025.